न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71 / 2011

1 गोपीराम पुत्र कालुराम जाति बलाई निवासी आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 धन्नालाल पुत्र भैरू जाति बलाई निवासी ग्राम आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 पूरणमल पुत्र गंगाराम।
3 तनसुख पुत्र गंगाराम।
4 रामेश्वर पुत्र गंगाराम।
5 गोरधन पुत्र गंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक दांतारामगढ़।
7 तहसीलदार दांतारामगढ़।
8 पटवारी हल्का लामियां तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ द्वारा उनवानी भोली देवी बनाम
धन्नालाल आदि मुकदमा नम्बर 188 / 2010
दिनांकित 24.05.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 188/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 24.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी भोली देवी ने भूमि खसरा नम्बर 155 ग्राम केरपुरा तहसील दांतारामगढ़ के सन्दर्भ में दावा बाबत उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत किया। दौराने सुनवाई वादिया भोली देवी की मृत्यु पर अपीलांट की और से प्रार्थना पत्र बाबत बनाये जाने पक्षकार प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट की और से आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी उसका दत्तक पुत्र है। अन्य कोई वारिस नही है। दावा अबैट किया जावे। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करते हुये वाद अबैट घोषित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट ने दत्तक पुत्र बनकर गलत रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। वादी भोली देवी ने अपीलांट के पक्ष में वसियत निष्पादित की थी। विचारण न्यायालय ने भोली देवी के वारिस के रूप में कायम मुकाम आवेदन खारिज कर दिया। विक्रय पत्र निरस्त हेतु सिविल न्यायालय में वाद लम्बित था। जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2016 को अपीलांट को कायम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मुकाम स्वीकर कर लिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2010 पेज 1322(2) का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट को भोली देवी ने जरिये पंजिकृत गोदनामा गोद लिया था। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई है। इसके उपरान्त दिनांक 15.09.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व भोली देवी ने जरिये पंजिकृत विकय पत्र विवादित भूमि सम्पूर्ण रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को विकय कर दी। अपीलांट जिस वसियत नामे के आधार पर पक्षकार बनना चाह रहा है। यह वसीयतनामा दिनांक 19.03.2011 को निस्पादित किया गया है। इस तिथि को भोली देवी इस सम्पति की मालिक नही थी। अत इस वसियत के आधार पर सिविल न्यायालय के अन्तिम निर्णय से पूर्व अपीलांट पक्षकार संयोजित होने योग्य नही था। विचारण न्यायालय में विस्तृत विवेचन कर वाद वादी अबैट किया है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट को भोली देवी ने जरिये पंजिकृत गोदनामा गोद लिया था। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हुई है। इसके उपरान्त दिनांक 15.09.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व भोली देवी ने जरिये पंजिकृत विकय पत्र विवादित भूमि सम्पूर्ण रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को विकय कर दी। अपीलांट जिस वसियत नामे के आधार पर पक्षकार बनना चाह रहा है। यह वसीयतनामा दिनांक 19.03.2011 को निस्पादित किया गया है। इस तिथि को भोली देवी इस सम्पति की मालिक नही थी। अत इस वसियत के आधार पर सिविल न्यायालय के अन्तिम निर्णय से पूर्व अपीलांट पक्षकार संयोजित होने योग्य नही था। विचारण न्यायालय में विस्तृत विवेचन कर वाद वादी अबैट किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर